बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः—मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु योजना संबंधी उद्योग विभाग का निर्गत संकल्प ज्ञापांक—4773 दिनांक—28.10.2013 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक—4773 दिनांक—28.10.2013 द्वारा निर्गत ''**मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना हेतु योजना**'' में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया हैः—

1. योजना का नाम ''**मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कलस्टर विकास योजना**'' होगा।

2. योजना की स्वीकृति, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उप कंडिका—4.3 में गठित राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन इस प्रकार से किया गया है—

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग—	अध्यक्ष
(ii) प्रबंध निदेशक, बियाडा—	सदस्य
(iii) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना—	सदस्य
(iv) निदेशक, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम निदेशालय—	सदस्य सचिव
(v) निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय—	सदस्य
(vi) निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय—	सदस्य
(vii) संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी, वित्त विभाग—	सदस्य
(viii) निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास संस्थान—	सदस्य
(ix) आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य—	सदस्य

3. योजना की उप कंडिका—4.4 के पश्चात उप कंडिका—4.4(क) निम्न प्रकार से जोड़ा गया है—

उप कंडिका—4.4 (क)— बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में ''सामान्य सुविधा केन्द्र'' की स्थापना के मामले में—

(i) बियाडा को विशेष उपक्रम (SPV) नामित किया जाता है। बियाडा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमावली निदेशक पर्षद के अनुमोदन उपरांत निर्गत कर सकेगी।

(ii) सभी राशि की परियोजना लागत संबंधी आवेदन प्रबंध निदेशक, बियाडा के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जाएगा।

(iii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का निर्माण एवं आवश्यकतानुसार PMA का चयन निविदा के माध्यम से बियाडा द्वारा किया जाएगा। DPR के अनुमादेन के उपरांत CFC के कार्यान्वयन एवं योजना अंतर्गत SPV को विमुक्त की जाने वाली राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) का समय–समय पर अनुश्रवण राज्य स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा।

4. इस पर दिनांक–13.05.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कुन्दन कुमार)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1581 /पटना, दिनांकः– 18-05-26
सं0सं0–08/उ0नि0–कलस्टर विकास/24–02/2026 (पार्ट–II)
प्रतिलिपिः–मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1581 /पटना, दिनांकः– 18-05-26
सं0सं0–08/उ0नि0–कलस्टर विकास/24–02/2026 (पार्ट–II)
प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1581 /पटना, दिनांकः– 18-05-26
सं0सं0–08/उ0नि0–कलस्टर विकास/24–02/2026 (पार्ट–II)
प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बियाडा /उद्योग निदेशक/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1581 /पटना, दिनांकः– 18-05-26
सं0सं0–08/उ0नि0–कलस्टर विकास/24–02/2026 (पार्ट–II)
प्रतिलिपि :–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1581 /पटना, दिनांकः– 18-05-26
सं0सं0–08/उ0नि0–कलस्टर विकास/24–02/2026 (पार्ट–II)
प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1581 /पटना, दिनांकः– 18-05-26
सं0सं0–08/उ0नि0–कलस्टर विकास/24–02/2026 (पार्ट–II)
प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।